कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – अनि / सशि / एफ– 501 / निशु / पापु / 2022–23 / 36 दिनांक – 07/01/2022

1 आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

2 निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

अति–आवश्यक

3 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक।

विषय :– शैक्षिक सत्र 2022–23 मे नि:शुल्क पाठ्य पुस्तको की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत।

Rajasthan Education Department

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियो एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओ, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता–पिता आयकर दाता नही है, को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध मे अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1 शाला दर्पण पोर्टल पर नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक मॉडयूल में सत्र 2021–22 के वितरण की **शत प्रतिशत प्रविष्टि दिनांक 10.01.2022 से 15.01.2022 तक** आवश्यक रूप से की जाए।

2 कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत नई नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 04 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी।

3 शैक्षिक सत्र 2022–23 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीईईओ / शहरी नोडल (यूसीईईओ) तक पहुंचाई जाएगी। अत: नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी।

4 विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता है तो शाला दर्पण के प्रपत्र 09 में उसकी प्रविष्टि की जाए।

5 पोर्टल पर सत्र 2021–22 के वितरण की शत प्रतिशत प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक वितरित स्टॉक व अन्तिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है।

6 अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटि पूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल / विद्यालय नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अन्तिम शेष का सत्यापन कर लेवें।

7. समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2022–23 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 15.01.2022 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें।

8. संबंधित जिला नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीईओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केन्द्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पन्न करवाएं।

9 यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल पर सत्र 2022–23 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अत: ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी।

10 शैक्षिक सत्र 2022–23 में शाला दर्पण पोर्टल के नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल मे निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखकर प्रविष्टि की जाए :–

- कक्षा 02 से 10 एवं कक्षा 12 की नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग, गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरणार्थ – यदि शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा 04 का नामांकन 120 है तो आगामी

शैक्षिक सत्र 2022–23 में कक्षा 05 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। कक्षा 01 एवं 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा।

- पीईईओ/शहरी नोडल (यूसीईईओ) स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10 प्रतिशत स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है।
- विद्यालय में जिस माध्यम से (हिन्दी/अंग्रेजी) विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है, उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाईल में किया जाना है, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इन्द्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र–9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा।
- कक्षा 06 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

6.1.22
(कानाराम)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिकशिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि अग्राकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव, उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु0)– प्रारंभिक/माध्यमिक।
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
8. उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर